

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 127] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 23, 1984/चैत्र 3, 1906
No. 127] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 23, 1984/CHAITRA, 3, 1906

इस भाग में छिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

श्रम और पुनर्वासि मंत्रालय

(श्रम विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 1984

का. आ. 188(अ).—केन्द्रीय सरकार, उत्प्रेषण, अधिनियम, 1983 (1983 का 31) की धारा 15 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के श्रम और पुनर्वासि मंत्रालय, श्रम विभाग की अधिसूचना सं. का. आ. 944(अ), तारीख 30 दिसम्बर, 1983 को अधिक्रान्त करते हुए, श्री आर. के. ए. सुब्रह्मण्य, अपर सचिव, श्रम और पुनर्वासि मंत्रालय, श्रम

विभाग को 22 मार्च, 1984 से 28 मार्च, 1984 तक की अवधि के लिए सक्षम अधिकारी नियुक्त करती है।

[सं. सी.जी.ई.-11011/8/81-उत्प्रास 1(भाग 1)]

बी. जी. देशमुख, सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 1984

S.O. 188(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 15 of the Emigration Act, 1983 (31 of 1983) and in supersession of the Notification of the Government of India, Ministry of Labour and Rehabilitation, Department of Labour No. S.O. 944(E), dated the 30th December, 1983, the Central Government hereby appoints Shri R. K. A. Subrahmanya, Additional Secretary, Ministry of Labour and Rehabilitation, Department of Labour, to be the competent authority for a period from the 22nd March, 1984 to the 28th March, 1984.

[No. CGE-11011/8/81-EMIG-I (PART) (i)]

B. G. DESHMUKH, Secy.